राजस्थान सरकार

औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग, कमरा नं. 315, तृतीय तल
जयपुर राजस्थान

E-mail: drugcontroller1.mh@rajasthan.gov.in
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांकः डीसी/लेखा/2019–20/५११ दिनांकः– ०६.०९.२०१९

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक,
राजस्थान।

विषयः– **वर्ष 2019–20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में व्यय के लिए राज्य निधि एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध तथा केन्द्रीय सहायता मद में बजट आवंटन के उपयोग के कम में।**

सन्दर्भः– वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक पं04(1)वित्त–1(1)आ.व्य./2019 दिनांक 31 जुलाई 2019.

उपरोक्त विषयान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 की आय–व्ययक मांग को वित्त (आय–व्ययक) विभाग ने उनके उपयुर्क्त संदर्भित परिपत्र द्वारा वर्ष 2019–20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में व्यय के लिए व्यय करने हेतु अनुमत किया गया है। अतः राज्य निधि, केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध मद के अन्तर्गत अधीनस्थ कार्यालयों को संलग्नानुसार बजट आवंटन किया गया है।

इस सम्बन्ध में आदेशित किया जाता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत विहित प्रकियाओं एवं प्रदत्त वित्तीय शक्तियों के अनुसार आंवटित बजट का उपयोग करें एवं निम्नालिखित निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें :–

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 के परिवर्तित बजट अनुमानों में व्यय के लिए बजट आवंटन एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ऑन लाईन किया जा रहा है। अतः आवंटित बजट राशि का एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत ऑन लाईन प्राप्त होना सुनिश्चित करें। इस सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई हो तो लेखा अनुभाग (मुख्यालय) से सम्पर्क कर सकते है।
2. जिन मामलों में नियमानुसार अलग से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों की आवश्यकता हो, वहा सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही व्यय किया जावें।
3. गत वर्षों का यह अनुभव रहा है कि किन्ही मदों में वर्ष भर के लिये स्वीकृति प्रावधान को कुछ महीनों में ही खर्च कर दिया जाता है तथा कुछ मदों में आनुपातिक रूप से व्यय न कर वर्ष के अन्तिम दिनों में एक साथ खर्च करने का प्रयत्न किया जाता है। यह प्रवृति उचित नहीं है, यथासम्भव व्यय की गति को वर्ष के दौरान औसतन समान रखे जाने का प्रयत्न किया जावे। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि आवंटित बजट के व्यय होने के पश्चात ही अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग ऑफिस आई.डी. संख्या (UID) का अंकन करतें हुए निर्धारित प्रारूप में की जावे।
4. स्वीकृत प्रावधान से अधिक का व्यय किसी भी स्थिति में नही किया जावे। व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावे। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आवंटित राशि से अधिक के दायित्वों का सृजन किसी भी हालत में नही किया जावे। इस संबंध में वित्तीय नियमों की अवहेलना करने वाले अधिकारी अनियमितताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होगें।

5. राजकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) विभाग के परिपत्र के अनुसार प्रावधान का उपयोग समानुपातिक आधार पर किया जाना सुनिश्चित करावें।
6. जैसा कि आप को विदित है कि राजस्थान राज पत्र में जारी अधिसूचना दिनांक 24.01.2013 द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2012) एवं राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता नियम 2013, (Rajasthan Transparency in Public Procurement Act. 2013) राज्य में दिनांक 26.01.2013 से प्रभावी हो गये है, अतः इनकी पालना किया जाना सुनिश्चित करावें। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता परिपत्रों की भी सख्ती से पालना सुनिश्चित करें।
7. वित्त विभाग एवं विभागीय परिपत्र के निर्देशों की अनुपालना में विभाग द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नियंत्रण रखने एवं नियमित रूप से अंक मिलान कार्य करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही अन्य परिहार्य खर्चों की रोक/अतिरेक की स्थिति को टाला जा सके। अंक मिलान के सम्बन्ध में बजट मैन्यूअल एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में प्रावधान है। व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र (जी.ए.–19) में (दो प्रतियों में) प्राप्त करेगें तथा इन्हें लेखा शीर्षक वाईज सकंलित कर जिले के कोष कार्यालय के लेखा से मिलान कर टी.वी. नम्बर सहित प्रति निदेशालय को प्रत्येक आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यालय के आदेश 374 दिनांक 01/08/19 के अनुसार अंक मिलान हेतु ऑनलाईन प्रकिया के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावें। व्यय विवरण के अभाव में आपके द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त बजट आवंटन के प्रस्तावों पर भी विचार नहीं किया जा सकेगा।
8. समस्त संस्थाओं/कार्यालयों की राजस्व मद (0210–राजस्व प्राप्तियाँ) में प्राप्त आय का अंक मिलान कोष कार्यालय से कर प्रत्येक माह प्राप्त आय का विवरण 10 तारीख तक निदेशालय को प्रेषित करेगें।
9. कार्यालय व्यय में आवंटित राशि में से टेलीफोन एवं पोस्टेज के संभावित व्यय के बिलों की राशि सुरक्षित रखते हुए व्यय किया जावें। कार्यालय व्यय से ही स्टेशनरी एवं प्रिटिंग के लिये व्यय किया जावें।
10. यात्रा व्यय/चिकित्सा व्यय में आवंटित राशि में से वरियता क्रम के आधार पर (यथा संभव उनकी प्राप्ति की दिनांक की वरियता के अनुसार) सर्वप्रथम गत वर्षों की बकाया राशियों का निपटारा करने उपरान्त ही नये बिलों का भुगतान किया जावें। भुगतान पहले प्राप्त पहले निस्तारण के आधार पर किया जावें।
11. चिकित्सा व्यय बिलों के पुर्नभरण हेतु राजस्थान चिकित्सा परिचर्या नियम–2013 एवं समय–समय पर जारी वित्त विभाग के आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना की जावें।
12. विद्युत एवं जल के बिलों के भुगतान हेतु कनेक्शन वाईज व्यय का लेखा रखा जावें। प्रत्येक बिल का भुगतान पूर्व में किये गये भुगतान की युनिट एवं वर्तमान में दर्शायी गयी युनिट से मिलान करने के पश्चात ही किया जावे ताकि दोहरी एवं अधिक भुगतान की संभावना न रहे। विद्युत एवं जल के कनेक्शनों का रिव्यू कर लिया जावे। आवश्यकता से ज्यादा विद्युत भार होने अथवा ज्यादा कनेक्शन होने पर उन्हें आवश्यकता के अनुरूप विद्युत वितरण निगम एवं जन स्वा. अभियान्त्रिकी विभाग से पत्राचार करके विद्युत भार/कनेक्शनों को कम करवाया जावें।
13. बिलो पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित कम्प्यूटराईज व्यय शीर्षक के अनुसार सही मोहर, सुपाठ्य व स्पष्ट लगावें। बिलों पर राज्य निधि एवं राज्य निधि प्रतिबद्ध तथा केन्द्रीय सहायता का उल्लेख भी स्पष्ट रूप से अंकित करें।
14. वित्त विभाग (जी.एण्ड टी. अनुभाग) के पत्रांक प–1(22)/वित्त/जीएण्डटी/2002 दिनांक 26.03.2002 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य कर्मचारी को सेवा निवृत्ति के बकाया उपार्जित अवकाशों का नकदीकरण भुगतान बजट शीर्षक 2071–पेंशन तथा

सेवानिवृत्ति हित लाभ 01–सिविल, 115–छुट्टी नकदीकरण हित लाभ से वहन किया जावे।

15. राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टॉफ का सुव्यवस्थिकरण अधिनियम 1999 की पालना में यह सुनिश्चित करें कि दैनिक मजदूरी पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति प्रतिषिद्ध (Prohibited) होगी। इसके साथ ही नवीन पदों के सृजन हेतु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यवाही नहीं की जावे। वेतन भत्तों आदि का पुनरीक्षण सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बिना नहीं किया जावे। इनके लिए सक्षम अधिकारी वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21 अक्टूबर 1999 के द्वारा घोषित किये गये है।

16. नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी 2004 के पश्चात नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के सहअंशदान/राजकीय अंशदान के सम्बन्ध में वित्त विभाग के परिपत्र कमांक प.4(12)वित्त/राजस्व/4 पार्ट दिनांक 05.03.2012 के निर्देशानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करावें।

17. सम्बन्धित बजट मदों में स्वीकृति पदों के लिये ही राशि आहरित की जावें। दर्शाये गये पदो के अतिरिक्त अन्य पदों के लिये किसी प्रकार की राशि आहरित/व्यय नहीं की जावे।

18. राज्य सरकार द्वारा नवीन मदों के अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों अनुसार संविदा कार्मिकों हेतु विस्तृत मद 41–संविदा व्यय अन्तर्गत बजटशीर्षवार/स्वीकृतिवार/कार्मिकवार राशि का विवरण प्रस्तुत करते हुये अतिरिक्त राशि की मांग की जावें।

19. लेखाशीर्षक 2210–06–104–(04) औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़करण **[01]–औषधि नियंत्रक के माध्यम से के अन्तर्गत राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता हेतु व्यय 40:60 (40%–60%) में करना सुनिश्चित करावें।**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।
दिनांकः– 06.05.2019

कमांकः डीसी/लेखा/2019–20/ 511

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान जयपुर।
2. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।
3. प्रभारी सर्वररूम को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक,
राज0 जयपुर।

सहायक औषधि नियंत्रकों से प्राप्त बजट मांग के अनुसार बजट मद 2210–06–104–04–(01) में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु विभिन्न मदों कमशः (05), (41), (22) में निम्नानुसार आवंटन किया जाता है।

2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य
06–लोक स्वास्थ्य
104–औषध नियंत्रण
(04)–औषधि नियामक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण
[01]–औषधि नियंत्रक के माध्यम से
राज्यनिधि (**40%**) एवं केन्द्रीय सहायता (**60%**)

राशि रू. (सहस्त्रों में)

S.No	Office Name	Office ID	05–कार्यालय व्यय		41-संविदा		22–सामग्री प्रदाय	
			राज्य निधि 40%	केन्द्रीय सहायता 60%	राज्य निधि 40%	केन्द्रीय सहायता 60%	राज्य निधि 40%	केन्द्रीय सहायता 60%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सहायक औषधि नियत्रक, जयपुर	35599	-	-	60	90	-	-
2.	सहायक औषधि नियत्रक, एन डी एन पी, जयपुर	35600	-	-	120	180	-	-
3.	सहायक औषधि नियत्रक, बीकानेर	35601	8	12	40	60	-	-
4.	सहायक औषधि नियंत्रक, जोधपुर	35602	-	-	40	60	-	-
5.	सहायक औषधि नियत्रक, कोटा	35603	12	18	40	60	-	-
6.	सहायक औषधि नियत्रक, उदयपुर	35604	-	-	-	-	-	-
7.	सहायक औषधि नियत्रक, अजमेर	35605	-	-	40	60	-	-
8.	सहायक औषधि नियत्रक, सीकर	35606	4	6	-	-	-	-
9.	सहायक औषधि नियत्रक, श्रीगगानगर	35607	4	6	-	-	-	-
10	सहायक औषधि नियत्रक, सवाईमाधोपुर	35608	-	-	-	-	-	-
11	सहायक औषधि नियत्रक, भरतपुर	35609	-	-	-	-	-	-
12	सहायक औषधि नियत्रक, बॉसवाडा	35610	-	-	-	-	-	-
13	सहायक औषधि नियत्रक, पाली	35611	-	-	-	-	-	-
14	सहायक औषधि नियत्रक, अलवर	35612	8	12	-	-	-	-
15	सहायक औषधि नियत्रक, चित्तौडगढ	35613	8	12	-	-	-	-
16	सहायक औषधि नियत्रक, चुरू	35614	4	6	-	-	-	-
17	सहायक औषधि नियत्रक, टोक	35615			-	-	-	-
18	सहायक औषधि नियंत्रक, भीलवाडा	35616	6	9	7.2	10.8	-	-
19	सहायक औषधि नियत्रक, बाडमेर	35617	12	18	-	-	-	-
20	सहायक औषधि नियत्रक, हनुमानगढ	35618	12	18	40	60	-	-
21	सहायक औषधि नियत्रक, झुन्झुनू	35619	-	-	-	-	-	-
22	सहायक औषधि नियत्रक, नागौर	35620	-	-	-	-	-	-
23	सहायक औषधि नियत्रक, जालौर	35621	-	-	-	-	-	-
24	सहायक औषधि नियत्रक, झालावाड	35622	-	-	4	6	-	-
25	राजकीय विश्लेषक (DTL) सेठी कॉलोनी जयपुर	20622	-	-	-	-	20	30
योग			**78**	**117**	**391.2**	**586.8**	**20**	**30**

(अक्षरे रूपये बारह लाख तैईस हजार मात्र)

(राजा राम शर्मा)
औषधि नियंत्रक
राजस्थान जयपुर